



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272377  
CG-DL-E-09052026-272377

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2251]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2342(अ).— केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उप-धारा (2) और धारा 138 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे उल्लिखित सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कार्यालय में प्राधिकृत करती है और उन्हें अध्याय XIII से संबंधित अपराधों के अभियोजन और उपशमन की मंजूरी और उक्त संहिता के अधीन तैयार और विरचित नियमों या योजनाओं के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की अधिकारिता प्रदान करती है, अर्थात् :

## सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	कार्यालय	वह क्षेत्र जिसके संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	निदेशक (रोज़गार)	कैरियर केंद्र (केंद्रीय)	संपूर्ण भारत
2	संयुक्त निदेशक (रोज़गार)		

[फा. सं. डीजीई-जेड-11011/03/2026-ईई-1]

अजय शर्मा, अपर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2342(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 136 and sub-section (1) of section 138 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (2) of the Table below in the office specified in column (3) of the said Table and confers upon them the jurisdiction of the areas specified in column (4) of the said Table, for sanctioning of prosecution and compounding of offences relating to Chapter XIII and the rules or schemes made or framed under the said Code, namely:-

Table

Sl. No.	Designation of officer	Office	Area in relation to which jurisdiction to be exercised
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director (Employment);	Career Centre (Central)	The whole of India.
2.	Joint Director (Employment)		

[F. No. DGE-Z-11011/03/2026-EE-1]

AJOY SHARMA, Addl. Secy.